(124)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पत्र सं0–38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15.132 वि0, पटना दिनांक 20.06.2018

संकल्प

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–38 / लो0उ0प्र0(विविध)–17 / 15–52 वित्त, दिनांक–14.03.2018 द्वारा राज्य के 14 लोक उपक्रमों (अनुषंगी कंपनियों सहित) एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की 2 अनुषंगी कंपनियों के कर्मियों का विभिन्न विभागों में समायोजन तथा उनके अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान तथा लोक उपक्रमों के आस्तियों के विधिवत अधिग्रहण का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प में सेवानिवृत्त / मृत कर्मियों के निगम में सेवा काल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के समायोजन के पूर्व की देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वर्षो से निगम कर्मियों का वेतनादि का भुगतान नहीं हो पाया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा समयक् विचारोपरांत मानवीय दृष्टीकोण अपनाते हुये निगम कर्मियों के बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु निम्नलिखि निर्णय लिया गया है–

I. सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों के बकाया वेतन एवं अन्य देयता तथा निगम कर्मियों का समायोजन के पूर्व का बकाया वेतनादि का भुगतान, संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निगम से प्रमाणिक अभिलेख प्राप्त कर जांचोपरांत किया जायेगा।

II. प्रशासी विभाग द्वारा किये गये मांग के आधार पर वित्त विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

III. वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत अभिलेख की जांच करने के बाद ही प्रशासी विभाग द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।

IV. निगम कर्मियों का अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान जमा नहीं होने की स्थिति में भी सरकारी अंशदान का भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा।

V. अन्तर्राज्यीय निगम, जिनके आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारियों के बंटवारा के संबंध में बिहार एवं झारखंड के बीच विधिवत निर्णय नहीं हुआ है, के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था अंतिम रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक– 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)–17 / 15.132 वि0, पटना दिनांक 20.06.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः— 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)—17 / 15......................वि0, पटना दिनांक—......................

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक / प्रशासक, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड, बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार पंचायती राज्य वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य डेयरी कॉरपोरेशन लि0, बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम, बिहार राज्य जल विकास निगम, बिहार पठारी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (**BIADA**) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अविलंब कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः— 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)—17 / 15......................वि0, पटना दिनांक—......................

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, कृषि विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं अविलंब कार्रवाई हेतु प्रेषित / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक—12.06.2018 में मद संख्या—16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः— 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)—17 / 15......................वि0, पटना दिनांक—......................

प्रतिलिपिः— आप्त सचिव, माननीय वित्त (उप मुख्य) मंत्री, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित / प्रधान आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः— 38 / लो0उ0प्र0 (विविध)—17 / 15......................वि0, पटना दिनांक—......................

प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 100 प्रति प्रकशनोपरांत लोक उपक्रम प्रशाखा, वित्त विभाग को भेजा जाय / श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम ऐनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)